सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम आर०सी०गोयल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज विविध प्रार्थना पत्र मु०नं० 5/20	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	फौत होने की रिपोर्ट अंकित होकर आई है। वास्ते कायम मुकामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 30-1-20 को पेश हो।	
30-1-20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते कायम मुकामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 4-2-20 को पेश हो।	
04.02.2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी मृत्तक शंकरदास पुत्र रूड़ादास के वारिसान् की ओर से उपस्थित होकर एक सहमति पत्र टाईपशुदा पेश किया है। जिसमें मृत्तक शंकरदास पुत्र रूड़ादास के वारिसान् रामकिशोर, मनोजकुमार (पुत्रगण), सुमनलता, सरिता देवी (पुत्रीयां), भागोती (पत्नि) ने अपने द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में खसरा नम्बर 4634, 4796/4631, 4638, 4639 में आसपुरा सीमा से प्रारम्भ होकर मांगू का ढेहर तक जाने एंव मौके पर रास्ता चालू होने तथा उक्त रास्ते को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने व तरमीम करने हेतु अपनी-अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए सहमति पत्र पेश कर अपनी स्वीकृति दी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने प्रस्ताव मे अंकित खसरा नम्बरान् में रास्ता मौके पर चालू होने तथा उक्त रास्ता ग्राम आसपुरा सीमा से प्रारंभ होकर मागू का ढेहर तक जाने बाबत अवगत कराया है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर आमजन के आवागमन के काम में आना विदित होता है। प्रकरण में माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर की बजट घोषणा 2015-16 को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्बन्धित खातेदारान् को सुनवाई का अवसर दिये जाने एंव खातेदारान् के द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होकर सार्वजनिक हित में उपयोग में आने बाबत अवगत कराया है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में अंकित	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम आम जनता

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विविध प्रकीर्ण पत्र — अनु० 5/20

भूमि खसरा नम्बरान् के प्रस्ताव प्रचलित रास्ता के सार्वजनिक हित में होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर सार्वजनिक हित में स्वीकार किया जाता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 03/ राजस्व/2020 दिनांक 03.01.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम नांगल पटवार मण्डल नांगल तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 4634 रकबा 6.68 हैक्टर में से रकबा 0.05 हैक्टर, 4796/4631 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर, 4638 रकबा 2.53 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर, 4639 रकबा 0.41 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर, 4640 रकबा 1.89 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर भूमियों को संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त निर्णय की प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक–पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावें एंव राजस्व नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.02.11 11:24:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: